

कार्यालय:- भर्ती एवं पदोन्नति समिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

// सूचना पत्र //

क्रमांक 1085/दो-12-01/2023

जांजगीर- चांपा, दिनांक 27/04/2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर- चांपा (छ०ग०) के जिला स्थापना में आकस्मिक निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर के कुल रिक्त पद 03 हेतु अपात्र अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति दिनांक 23-03-2026 के समय 5.30 बजे तक आहूत किया गया था। दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। जिसका अवलोकन जिला न्यायालय जांजगीर- चांपा (छ०ग०) के वेबसाइट <https://janjgir.courts.gov.in> में कर सकते हैं या कार्यालयीन समय पर जिला न्यायालय जांजगीर- चांपा (छ०ग०) के नोटिस बोर्ड में चस्पा सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

दावा आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	पंजी. क्रं.	आवेदक का नाम	पिता/ पति का नाम	आवेदन में पाई गई त्रुटि का विवरण	अर्ह/ अनर्ह किये जाने का विवरण	रिमार्क
1	189	आदर्श कुमार डाहिरे	किशोर कुमार	फोटो स्वप्रमाणित नहीं है।	आवेदन में निर्धारित स्थान पर आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक साहित चस्पा करना लिखा हुआ है, किन्तु आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र में रंगीन फोटो स्वहस्ताक्षरित चस्पा कर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु आवेदन पत्र को पुनः निकालकर उसमें फोटो चस्पा नहीं किया जा सकता है, जिससे उसे अपात्र माना जावे।	अपात्र
2	133	नितेश कुमार श्रीवास	मनसुख लाल	आवेदन के निर्धारित स्थान पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है एवं फोटो स्वप्रमाणित नहीं है।	आवेदन में निर्धारित स्थान पर आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक साहित चस्पा करना लिखा हुआ है, किन्तु आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा नहीं किया गया है, और न ही आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र में रंगीन फोटो स्वहस्ताक्षरित चस्पा कर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु आवेदन पत्र को पुनः निकालकर उसमें फोटो चस्पा नहीं किया जा सकता है, और न ही आवेदन पत्र में पुनः निर्धारित स्थान पर	अपात्र

					हस्ताक्षर करवाया जा सकता है। जिससे उसे अपात्र माना जावे।	
3	67	नंदकिशोर	जामुन सिंह	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची की छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
4	442	मेघराज देवांगन	चिन्तामणी	संलग्न दस्तावेज की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं है।	आवेदक द्वारा कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
5	186	तपेश्वर प्रसाद बरेठ	जीवन लाल बरेठ	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
6	198	आशुतोष निर्मलकर	परस राम निर्मलकर	रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने से पात्र माना जावे।	पात्र
7	68	धनेश्वर	शिवकुमार	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
8	16	मनीष यादव	डमरुलाल	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
9	477	योगेश चौहान	संतोष सिंह चौहान	फोटो स्वप्रमाणित नहीं है।	आवेदन में निर्धारित स्थान पर आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित चस्पा करना लिखा हुआ है, किन्तु आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा नहीं किया गया है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र में रंगीन फोटो स्वहस्ताक्षरित चस्पा कर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु आवेदन पत्र को पुनः निकालकर उसमें फोटो चस्पा नहीं किया जा सकता है, जिससे उसे अपात्र माना जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र में उनके द्वारा जाति सामान्य वर्ग होने से जाति प्रमाण पत्र नहीं होने का लेख किया गया है। आवेदक सामान्य वर्ग का होने से रिमार्क	अपात्र

					में जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना उल्लेख है, उसे विलोपित किया जावे।	
10	4	मनीष यादव	राजकुमार	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची छायाप्रति स्वप्रमाणित संलग्न किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र

Chahar
27/04/26
अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ०ग०)